संख्या-42/2019/1169/12-5-2019-सा-73/2017

प्रेषक,

बृजराज सिंह यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊः दिनांकः 24 सितम्बर, 2019**

विषयः- प्रदेश के अतिदोहित/क्रिटिकल/सेमी क्रिटिकल विकासखण्डों में स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली वितरण योजना की वर्ष 2019-20 की कार्ययोजयना पर स्वीकृति दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-भू0सं0/अभि0/214/2019-20, दिनांक 02.09.2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के अतिदोहित/क्रिटिकल/सेमी क्रिटिकल विकासखण्डों में स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली वितरण की वर्ष 2019-20 की निम्नलिखित कार्ययोजना के क्रियान्वयन हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

प्रदेश के अतिदोहित/क्रिटिकल/सेमी क्रिटिकल विकासखण्डों में स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली वितरण की योजना (वर्ष 2019-20)

प्रस्तावना -

- प्रदेश में कृषि फसलों के उत्पादन के लिए उपयुक्त भूमि एवं संतुलित सिंचाई हेतु भू-जल आवश्यक है। भू-जल सम्पदा के असंतुलित उपयोग के कारण प्रदेश के 113 अतिदोहित, 59 क्रिटिकल एवं 45 सेमी क्रिटिकल कुल 217 विकासखण्ड जलसंकट से ग्रसित श्रेणी में चिन्हित हैं जहां भू-जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो गयी है, भू-जल की बिगड़ती हुई स्थिति को सुधारने एवं गुणवत्तायुक्त उत्पादन हेतु स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति सर्वथा उपयुक्त विधा है। प्रदेश में कृषकों की आय में सुधार तथा उत्पादकता में वृद्धि के लिये सिंचाई के सीमित संसाधनों से उपलब्ध जल के उपयोग की क्षमता बढ़ाया जाना अत्यन्त आवश्यक है। उपलब्ध सीमित जल को सुनियोजित रूप से खेतों तक पहुंचाने व स्प्रिंलकर पद्धति से सिंचाई को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्तमान सरकार के संकल्प पत्र में कृषकों को स्प्रिंकलर/ड्रिप सिंचाई प्रणाली उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।
- स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली की लागत अधिक होने के कारण प्रदेश में यह कम लोकप्रिय है। इसे प्रोत्साहित करने हेतु वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक प्रदेश में स्प्रिंकलर सेट वितरण का कार्य उद्यान, गन्ना एवं कृषि विभाग के अन्तर्गत संचालित योजनाओं में एक समान रूप से कृषकों को अनुदान देने हेतु शासनादेश सं0-15/2017-1843/58-2017-429/2015 दिनांक 12.07.2017 के द्वारा प्रदेश के लघु सीमान्त कृषकों को 90 प्रतिशत अनुदान पर एवं अन्य कृषकों को 80 प्रतिशत अनुदान पर स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली की सुविधा अतिरिक्त राज्यांश अनुदान (टॉपअप) करते हुये स्वीकृत की गयी है। योजना के अन्तर्गत लघु/सीमान्त कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान अंश केन्द्रांश के रूप में आर0के0वी0वाई योजना से एवं 40 प्रतिशत अनुदान राज्यांश के रूप में राज्य सेक्टर से तथा सामान्य कृषकों को अनुमन्य 50 प्रतिशत अनुदान केन्द्रांश के रूप में आर0के0वी0वाई योजना से तथा 30 प्रतिशत अनुदान राज्यांश के रूप में राज्य सेक्टर से वहन किया जायेगा।

2.....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

<u>योजना के उद्देश्य-</u>

- कृषकों की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए जल के समुचित प्रयोग हेतु प्रेरित करना।
- संचित वर्षा जल को सुरक्षित जल संवाहक प्रणाली द्वारा खेतों तक पहुंचाना, जिससे जल का ह्रास कम से कम हो एवं उपलब्ध जल से अधिकाधिक क्षेत्र की सिंचाई भी हो सके।
- परियोजना क्षेत्र में सिंचन क्षमता में वृद्धि करना तथा सिंचाई की लागत में कमी लाकर कृषकों की आय में वृद्धि करना।

<u>योजना का कार्य क्षेत्र-</u> प्रदेश के 47 जल संकटग्रस्त जनपदों के 217 अतिदोहित, दोहित, क्रिटिकल एवं सेमी क्रिटिकल विकासखण्डों में संचालित होगी।

<u>योजना के अंतर्गत प्रस्तावित कार्य -</u>

स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली में पम्प सेट, एच0डी0पी0ई0 पाइप एवं स्प्रिंकलर सेट सम्मिलित है। पम्पसेट के माध्यम से जल स्त्रोत से जल उठाया जाता है और एच0डी0पी0ई0 पाईप के नेट वर्क के माध्यम से खेत में स्प्रिंकलर सेट तक पहुंचाया जाता है जो दबाव के साथ उस पानी को फसलों के ऊपर छिड़कता है जिसका प्रभाव वर्षा के स्वरूप में होता है। इस पद्धति के प्रयोग से सिंचाई हेतु पानी की आवश्यकता में 60 प्रतिशत तक कमी आ सकती है। इस पद्धति से दूसरा लाभ यह है कि स्प्रिंकलर को एक खेत से दूसरे खेत में भी ले जाया जा सकता है। यह सिंचाई कतिपय स्थानों में धान्य फसलों तथा अधिकांश क्षेत्रों में दलहन, तिलहन एवं सब्जी के लिये उपयुक्त है।

<u>योजना के अन्तर्गत देय अनुदान:</u>

स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली में निम्न तीन कम्पोनेन्ट्स पर अनुदान दिये जायेंगे:

(अ) स्प्रिंकलर सेट - इसमें मेन लाइन, लैटरल कपलर एवं स्प्रिंकलर नोजल आदि सम्मिलित हैं।

(ब) जल स्त्रोत से स्प्रिंकलर सेट तक एच0डी0पी0ई0 पाइप जिसकी लम्बाई जल स्त्रोत से खेत की दूरी एवं भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगी। योजना के अंतर्गत अधिकतम 96 मीटर एच0डी0पी0ई0 पाइप पर अनुदान देय होगा, जिसका निर्धारण तकनीकी निरीक्षण के आधार पर किया जायेगा।

(स) जल स्त्रोत से पानी उठाने के लिये पम्प, जिसकी क्षमता 5 हार्सपावर से लेकर अधिकतम 10 हार्सपावर तक होगी, जो लाभार्थी के जलस्त्रोत पर निर्भर करेगी। यदि किसी कृषक के पास पूर्व से पम्प उपलब्ध हैं तो इस योजना के अंतर्गत पम्प सेट उपलब्ध नहीं कराया जायेगा।

स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली के लिये वर्तमान मूल्यों को देखते हुये प्रति इकाई अनुमानित लागत एवं श्रेणीवार अधिकतम अनुदान की सीमा निम्नवत् निर्धारित की जाती है:-

(धनराशि रूपये में)

स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली के मद	कुल अनुमानित लागत	लाभार्थी कृषकों हेतु अनुमन्य अनुदान		अभियुक्ति
		लघु/ सीमान्त कृषक (90 प्रतिशत अनुदान)	सामान्य कृषक (80 प्रतिशत अनुदान)	
1- स्प्रिंकलर सेट एवं अन्य सहवर्ती उपकरण	28000	25200	22400	स्प्रिंकलर सेट के मूल्य की बढ़ोत्तरी की दशा में निर्धारित अनुदान से अधिक लागत को कृषक स्वयं वहन करेगा
2- 110 मिमी एच0डी0पी0ई0 पाइप (कपलर सहित) अधिकतम 96 मीटर (6.0 मी0 लम्बाई के 16 पाइप)	16000	14400	12800	
उप योग	**44000**	**39600**	**35200**	
3- पंपसेट आई0एस0आई0 मार्क (5 से अधिकतम 10 हार्स पावर तक)	26000	23400	20800	
योग	**70000**	**63000**	**56000**	

3.....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

लाभार्थियों की पात्रता -

योजना के अंतर्गत संकटग्रस्त अतिदोहित/क्रिटिकल/सेमी क्रिटिकल विकासखण्डों के सभी कृषक अनुदान प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे, प्रतिबंध यह होगा कि उनके खेतों के पास सिंचाई हेतु जल स्त्रोत उपलब्ध हो, जिसमें सिंचाई के लिये पर्याप्त जल उपलब्ध हो। एक कृषक को केवल एक ही स्प्रिंकलर इरीगेशन सिस्टम का अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। एक लाभार्थी कृषक को 07 वर्ष के पश्चात् ही योजना का लाभ पुनः अनुमन्य होगा।

योजना का क्रियान्वयन, स्प्रिंकलर सेट/एच0डी0पी0ई0 पाइप का क्रय एवं अनुदान के भुगतान की प्रक्रिया -

योजनान्तर्गत स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली का वितरण जनपदीय उप कृषि निदेशक के द्वारा उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी एवं अन्य जनपदीय अधिकारियों के सहयोग से कराया जायेगा। व्यापक प्रचार-प्रसार कर अधिक से अधिक कृषकों को विभागीय पोर्टल पर आनलाईन पंजीकरण हेतु प्रेरित किया जायेगा। पंजीकृत लाभार्थी को प्रथम आवत-प्रथम पावत के आधार पर चयन किया जायेगा। एस0एम0एस0, नोटिस बोर्ड एवं विभागीय कर्मचारी के माध्यम से चयनित लाभार्थियों को एक माह में समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण कराते हुये स्प्रिंकलर सेट क्रय करने हेतु नोटिस दी जायेगी। नोटिस की समयावधि समाप्त होने पर पंजीकृत सूची की वरीयता क्रम में अगले लाभार्थियों का चयन किया जायेगा। शासनादेश सं0-543/12-3-2017-100(61)/12 टीसी दिनांक 26.05.2017 में दी गई व्यवस्था का पालन करते हुये पारदर्शी ऑनलाईन लाभार्थियों का चयन एवं अनुदान के भुगतान की प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। एक लाभार्थी कृषक को 07 वर्ष के पश्चात् ही योजना का लाभ पुनः अनुमन्य होगा।

इमपैनल्ड निर्माताओं (पंजीकृत) की सूची में से किसी भी निर्माता से उपकरण की खरीद के लिये लाभार्थी कृषक स्वतंत्र होंगे। कृषक के खेत मे इन्स्टालेशन एवं प्रदर्शन होने का फील्ड सत्यापन उप कृषि निदेशक अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा किया जायेगा। स्थलीय सत्यापन के उपरांत कृषक को स्प्रिंकलर सेट, एच0डी0पी0ई0 पाइप एंव पम्प सेट के लिये अनुदान की धनराशि कृषक के खाते मे डी0बी0टी0 के माध्यम से भुगतान किया जायेगा।

लाभार्थी कृषक द्वारा स्प्रिंकलर सेट की सम्पूर्ण धनराशि एकमुश्त स्वयं के निजी श्रोत से नहीं दे पाने की स्थिति में शासकीय अनुदान की धनराशि के भुगतान हेतु पोस्ट डेटेड चेक (पी.डी.सी.) संबंधित निर्माता फर्म अथवा उनके अधिकृत डीलर्स/डिस्ट्रीब्यूटर्स को उनकी आपसी सहमति के अनुसार हस्तगत कराकर स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली क्रय किया जा सकता है।

योजनान्तर्गत 217 अतिदोहित/क्रिटिकल/सेमी क्रिटिकल विकासखण्डों हेतु स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य -

(भौतिक सं0 में एवं वित्तीय लाख रू0 में)

क्र० सं०	वर्ष	स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली का लक्ष्य (लागत रू0 70000/सेट)														
		लघु/सीमान्त (90 प्रतिशत अनुदान)					सामान्य (80 प्रतिशत अनुदान)					कुल योग				
		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य				भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य				भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य			
			केन्द्रांश	राज्यांश	कृषक अंश	योग		केन्द्रांश	राज्यांश	कृषक अंश	योग		केन्द्रांश	राज्यांश	कृषक अंश	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2018-19	6395	2238.25	1790.60	447.65	4476.50	2740	959.00	575.40	383.60	1918.00	9135	3197.25	2366.00	831.25	6394.50

योजना का अनुश्रवण, समीक्षा एवं मूल्यांकन

प्रदेश के 217 अतिदोहित/क्रिटिकल, सेमी क्रिटिकल विकास खण्डों में वितरित किये गये स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली एवं पम्प सेटों का रैण्डम आधार पर भौतिक सत्यापन जनपदीय उप कृषि निदेशक द्वारा (20 प्रतिशत) एवं संयुक्त कृषि निदेशक अथवा उनके द्वारा नामित मण्डलीय अधिकारियों द्वारा (10 प्रतिशत) अवश्य किया जायेगा।

राज्य स्तर पर कृषि निदेशक, उ0प्र0, मण्डल स्तर पर संयुक्त कृषि निदेशक एवं जनपद स्तर पर जनपदीय उप कृषि निदेशक योजना के अनुश्रवण हेतु उत्तरदायी होगें। मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त एवं जनपद स्तर पर जिलाधिकारी योजना की मासिक समीक्षा करेंगे तथा अपनी आख्या कृषि निदेशक एवं प्रमुख सचिव, (कृषि) को

4.....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उपलब्ध करायेगें। योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रत्येक माह निर्धारित प्रारूप पर जनपदीय उप कृषि निदेशक द्वारा संयुक्त कृषि निदेशक के माध्यम से कृषि निदेशालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

योजनान्तर्गत लाभार्थियों की सूची का पूर्ण विवरण मोबाईल नम्बर सहित विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराना अनिवार्य होगा। योजनान्तर्गत स्थानीय स्तर की समस्याओं का निराकरण जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त के संज्ञान में लाकर उनके अनुमोदनोपरान्त सुनिश्ति किया जायेगा।

2- प्रत्येक वर्ष बजट में प्राविधानित धनराशि की सीमा तक वार्षिक कार्य योजना पर वित्त विभाग से सहमति प्राप्त करते हुए योजना का क्रियान्वयन कराया जायेगा। साथ ही योजना का मिड-टर्म ईवैल्यूशन 02 वर्ष बाद कराने के उपरान्त आगामी वर्षो में योजना क्रियान्वित की जायेगी तथा लाभार्थियों का विवरण कृषि विभाग की वेबसाइट पर डाला जायेगा तथा यह स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि योजना का मिड-टर्म मूल्यांकन यथाशीघ्र कराते हुए मूल्यांकन रिपोर्ट से शासन को अवगत कराया जायेगा।

3- शासनादेश संख्या-543/12-3-2017-100(61)/12टीसी दिनांक 26.05.2017 में दी गयी व्यवस्था का पालन करते हुए पारदर्शी ऑनलाइन लाभार्थियों का चयन एवं अनुदान के भुगतान की प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

कृपया उक्तानुसार योजना का क्रियान्वयन प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
बृजराज सिंह यादव
विशेष सचिव।

संख्या-42/2019/1169(1)/12-05-2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
3- प्रमुख सचिव, नियोजन/वित्त/उद्यान/लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 द्वारा कृषि निदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।
5- निदेशक, सूचना, उ0प्र0 लखनऊ।
6- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा कृषि निदेशक।
7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
9- अपर कृषि निदेशक (भू0सं0), उ0प्र0 लखनऊ।
10-समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक, उ0प्र0 द्वारा कृषि निदेशक।
11-समस्त जनपदीय उप कृषि निदेशक, उ0प्र0 द्वारा कृषि निदेशक।
12-समस्त उप कृषि निदेशक (भू0सं0), उ0प्र0 लखनऊ।
13-समस्त भूमि संरक्षण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा कृषि निदेशक।
14-समस्त जिला कृषि अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा कृषि निदेशक।
15-नियोजन अनुभाग-3/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/कृषि अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
16-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
बृजराज सिंह यादव
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in